

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

C.F.A-21.11 00

1. District: STATE VIG BUREAU P.S.: SVB AMBALA Year: 2015 FIR No.: 1 Date: 29-01-2015

2. Act(s):
(i) IPC 1860 Section(s):
(ii) PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 409/420/467/468/471/120B/204
(iii) 13(1)D
(iv)

3. Occurrence of Offence:
(a) Day: Monday Date From: 01-01-2007 Date To: 01-01-2010
Time Period: Time From: Time To:
(b) Information received at P.S.: Date: 29-01-2015 Time: 19:30 hrs
(c) General Diary Reference: Entry No.: 12 Time: 19:30 hrs

4. Type of Information: WRITTEN

5. Place of Occurrence:
(a) Direction and Distance from P.S.: Beat No.:
(b) Address: DISTT AMBALA, PS SVB AMBALA District:
(c) In case, Outside the limit of the Police Station:
Name of P.S.:

6. Complainant/Informant:
(a) Name: RAJINDER KUMAR Nationality: INDIA
(b) Birth Year: Date of Issue: Place of Issue:
(c) Passport No.
(d) Occupation:
(e) Address: PS SVB AMBALA

7. Details of Known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary): (9)
(SEE ANNEXURE FOR ACCUSED DETAILS):



8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant: NO DELAY

9. Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

Sl.No.	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)	Status
(i)			
(ii)			
(iii)			

- Reg. No. 2 12
- Reg. No. 4
- Reg. No. 6
- Reg. No. 9-III
- Reg. No. 9-II
- Reg. No. 11 7/8
- Reg. No. 12 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16
- Reg. No. 19
- Reg. No. 21
- Reg. No. 23

10. Total value of property stolen:

11. Inquest Report/U.D Case No., if any:

SEEN

IG/SVB/GGM

12. F.I.R Contents(attach separate sheet,if required):

सेवा में प्रबंधक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला मण्डल, अम्बाला श्रीमान जी, निवेदन है कि जाच क्रमांक 02 दिनांक 28.03.2011 अम्बाला मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 37/2/2011-3चौ०-(I) दिनांक 22.03.2011 की अनुपालना में दर्ज रजिस्टर होकर निदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो ह० पंचकुला के यादि क्रमांक 5354/I-3/रा०चौ०ब्यूरो(ह०) दिनांक 05.04.2011 द्वारा पडताल के लिए श्री राधे श्याम, एच०पी०एस०, तत्कालीन उप पुलिस अधिक्षक अम्बाला को प्राप्त हुई थी तथा बाद में आरोप की पडताल श्री माटा रवि किरण, भा०पु०से०, तत्कालीन पुलिस अधिक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला द्वारा की गई थी। जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त अम्बाला की रिपोर्ट दिनांक 02.03.2010, 30.03.2010, उपायुक्त अम्बाला की रिपोर्ट दिनांक 15.05.2010 ग्रामीण विकास हरियाणा द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23.11.2010 एवं मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 37/2/2011-3चौ०-(I) दिनांक 02.05.2011 के द्वारा रिपोर्टों अनुसार आरोप था कि भारत सरकार की स्कीम मनरेगा के अन्तर्गत हरियाणा सरकार के माध्यम से उपायुक्त अम्बाला के द्वारा वर्ष 2007-08 में 660 लाख रु० वर्ष 2008-09 में 1373 लाख रु० व वर्ष 2009-10 में 480 लाख रु० कुल 2513 लाख रुपये की राशि अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी०आर०डी०ए० अम्बाला के माध्यम से डी०एफ०ओ०(टी०) अम्बाला को गांव रूपा माजरा बलाँक अम्बाला-1, गाँव बब्याल व धुलकोट बलाँक अम्बाला-II, गाँव फिरोजपुर काठ व अब्बूपुर बलाँक नारायणगढ, गाँव धीन, डूलियानी व होली बलाँक बराडा, गाँव नारायणगढ माजरा व समलाहडी बलाँक साहा, गाँव ककडमाजरा, गाँव रतौर बलाँक शहजादपुर आदि गाँव में पौधारोपण, कच्चे रास्तो में मिटटी, दुधला मण्डी, गाँव बराडा, गाँव उगाडा में पौधा रोपण व सिविल हस्पताल अम्बाला शहर में पार्क निमार्ण के लिए मिटटी इत्यादि डालने का कार्य व हर्बल पार्क बनाने में संबंधित गाँवों की ग्राम सभाओं से कोई प्रस्ताव पास न करवाकर और कार्य मजदुरों की बजाये मशीनरी के द्वारा करवाकर, तकनीकी अधिकारियों की राय के बिना, तथा झूठे जाँब कार्ड हॉल्डरों के नाम से पेमेंट दिखाकर राशि का गबन किया गया है तथा मजदुरों के जाँब कार्ड्स व मस्ट्रोल का रिकार्ड ठीक प्रकार तैयार न करना व जाँब कार्ड हॉल्डर्स को पेमेंट का भूगतान बैंक/डाक घर के द्वारा न करके नगद भूगतान करके, जाँब कार्ड पंचायतो के माध्यम से जारी न करके डी०आर०डी०ए० अम्बाला द्वारा सीधे वन विभाग के कर्मचारियों को बलाँक जाँब कार्ड्स जारी करके अनियमितताएँ की गई है। हिदायतो अनुसार बैंक खाता/पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन्ट खाता न खोल कर ड०एफ०ओ०(टी०) अम्बाला द्वारा अपने नाम से युनियन बैंक ऑफ इंडिया अम्बाला में खाता 387302010016837 खोल कर खूद ऑपरेट करके अनियमितताएँ की गई है। पडताल पर पाया गया कि श्री जगमोहन शर्मा, तत्कालीन डी०एफ०ओ० (टी) अम्बाला, श्री गोकूल शर्मा, तत्कालीन रेंज फोरैस्ट अफसर अम्बाला, श्री राजेश राणा, तत्कालीन रेंज फोरैस्ट अफसर नारायणगढ, श्री प्रसांत शर्मा, तत्कालीन रेंज फोरैस्ट अफसर साहा, श्री विनोद कुमार, तत्कालीन रेंज फोरैस्ट अफसर साहा, व श्री लक्ष्मण दास तत्कालीन रेंज फोरैस्ट अफसर साहा, श्री दीपक अलावादी, तत्कालीन रेंज फोरैस्ट अफसर साहा, व श्री चन्द्रमोहन, तत्कालीन उप अधीक्षक कार्यालय डी०एफ०ओ०(टी०) अम्बाला, श्री सुरेन्द्र कुमार नागर सहायक तत्कालीन लेखाकार हाल कार्यालय प्रधान प्रमुख वन रक्षक हरियाणा पंचकुला द्वारा आपसी मिलीभगत से अपने-अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नरेगा स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त 25 करोड 13 लाख रुपये में से न. 1 हर्बल पार्को से संबंधित कार्यों पर 55,50,062 रु०, का गबन 2. भिन्न-2 नर्सरीयों से संबंधित कार्यों पर 1,70,26,875 रु०, का गबन 3. कच्चे रास्तो से संबंधित कार्यों पर 1,90,52,595 रु० का गबन 4. मजदुरों पर खर्च करनी दिखाई गई राशि में 61,68,004 रु० का गबन 5. डी०पी०सी०/ए०डी०सी० अम्बाला के माध्यम से प्राप्त कुल 25,13,00,000 रुपये में से कैश बुक के अनुसार 4,04,805 रुपये, की राशी खर्च करने के ईन्दाज न करके गबन करना 6. पंचायती राज उप मण्डल अभियन्ताओं की निरीक्षण रिपोर्टों अनुसार पौधारोपण न करवाने



शाहजादपुर में राजपुताना रोड से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की सड़क पर भिटी डलवाने का कार्य न करवाने तथा गाँव मण्डोर व गाँव घेलकलां में डिसपले बोर्ड न लगवाने आदि कार्यों में 15,00,000 रुपये का गबन 7. कार्यकारी अभियन्ता की तकनीकी राय अनुसार कंकरीट के रास्तो पर दिखाई गयी अधिक सामग्री खर्च करने पर 2,28,002 रुपये के गबन सहित कुल 4,99,30,343/रु० की राशि का फर्जी रिकार्ड तैयार करके MIS (Monitoring Information system) में फर्जी डाटा फीड करके और बदनियती से कार्यों से संबंधित मंस्ट्रोल व वाउचर जान-बुझकर नष्ट करके गबन करने का अपराध पाया जाने पर इन के विरुद्ध धारा 409,420,467,468,471,120बी०,204 भा०द०स० व 13(1) डी० पी०सी० एक्ट 1988 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करने तथा यदि किसी अन्य की इस मामले में संलिप्तता पाई जाये तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिया जाने का सुझाव देकर अन्तिम रिपोर्ट महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 15578/रा०चौ०ब्यूरो(ह०) दिनांक 16.11.2012 अनुसार सरकार को भेजी गई थी। जो अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के प०क्रमांक 37/2/11-3 चौ०-I दिनांक 28.01.2015 अनुसार महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के प० क्रमांक 1495/I-3/रा०चौ०ब्यूरो(ह०) दिनांक 28.01.2015 द्वारा प्रतिवादी श्री जगमोहन शर्मा, तत्कालीन डी०एफ०ओ० (टी) अम्बाला, श्री गोकूल शर्मा, तत्कालीन रेंज फोरैस्ट अफसर अम्बाला, श्री राजेश राणा, तत्कालीन रेंज फोरैस्ट अफसर नारायणगढ, श्री प्रसांत शर्मा, तत्कालीन रेंज फोरैस्ट अफसर साहा, श्री विनोद कुमार, तत्कालीन रेंज फोरैस्ट अफसर साहा, व श्री लक्ष्मण दास तत्कालीन रेंज फोरैस्ट अफसर साहा, श्री दीपक अलावादी, तत्कालीन रेंज फोरैस्ट अफसर साहा, व श्री चन्द्रमोहन, तत्कालीन उप अधीक्षक कार्यालय डी०एफ०ओ०(टी०) अम्बाला, श्री सुरेन्द्र कुमार नागर सहायक तत्कालीन लेखाकार हाल कार्यालय प्रधान प्रमुख वन रक्षक हरियाणा पंचकुला के विरुद्ध मुकदमा धारा 409,420,467,468,471,120बी०,204 भा०द०स० व 13(1)डी० पी०सी० एक्ट 1988 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करवाने तथा तफतीश के दौरान किसी अन्य की संलिप्तता पाई जाये तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिया जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं। जो पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला मण्डल, अम्बाला के डायरी क्रमांक 128 दिनांक 29.01.2015 अनुसार तहरीर तैयार करने हेतु प्राप्त हुई है। जो तहरीर भेजकर अनुरोध है कि प्रतिवादी श्री जगमोहन शर्मा, तत्कालीन डी०एफ०ओ० (टी) अम्बाला, श्री गोकूल शर्मा, तत्कालीन रेंज फोरैस्ट अफसर अम्बाला, श्री राजेश राणा, तत्कालीन रेंज फोरैस्ट अफसर नारायणगढ, श्री प्रसांत शर्मा, तत्कालीन रेंज फोरैस्ट अफसर साहा, श्री विनोद कुमार, तत्कालीन रेंज फोरैस्ट अफसर साहा, व श्री लक्ष्मण दास तत्कालीन रेंज फोरैस्ट अफसर साहा, श्री दीपक अलावादी, तत्कालीन रेंज फोरैस्ट अफसर साहा, व श्री चन्द्रमोहन, तत्कालीन उप अधीक्षक कार्यालय डी०एफ०ओ०(टी०) अम्बाला, श्री सुरेन्द्र कुमार नागर सहायक तत्कालीन लेखाकार हाल कार्यालय प्रधान प्रमुख वन रक्षक हरियाणा पंचकुला के विरुद्ध धारा 409,420,467,468,471,120बी०,204भा०द०स० व 13(1)डी० पी०सी० एक्ट 1988 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके स्पेशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट अम्बाला की सेवा में भेजी जाये तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्च अधिकारीगण की सेवा में भेजी जाये। मिशल पुलिस मय असल तहरीर तफतीशी अधिकारी के हवाले की जाये। SD- Rajender kumar निरिक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला दिनांक 29-01-2015 उक्त तहरीर तैयार करके अनुमोदन करवाने के लिए पत्र क्रमांक 173/रा०चौ०ब्यूरो (अ०)दि० 29-01-2015 द्वारा महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला को भेजी गई थी। जो महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 1581/I-4/SVB(H) dated Panchkula, the 29-01-2015 व कार्यालय पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला के डायरी क्रमांक 130 दिनांक 29-01-2015 के अनुसार मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश के साथ तहरीर प्राप्त हुई है। उपरोक्त तहरीर पर उपरोक्त आरोपीयो के विरुद्ध मुकदमा न० 1 दिनांक 29-01-2015 धारा 409,420,467,468,471,120बी०,204भा०द०स० व 13(1) डी० पी०सी० एक्ट 1988 के तहत दर्ज रजिस्टर करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति बतौर स्पेशल रिपोर्ट बटस्त सिपाही जसमेर सिंह 826/जीन्द SVB Ambala के इलाका मैजिस्ट्रेट अम्बाला व प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्च अधिकारियो की सेवा में भिजवाई जा रही है। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर तफतीशी अधिकारी के हवाले की जायेगी। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।



13 . Action Taken(Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation

OR

(ii) Directed(Name of the I.O): RAJINDER KUMAR
No.: 00000088

Rank: INS
to take up the investigation, OR

(iii) Refused investigation due to:

OR

(iv) Transferred to P.S(name):
on point of jurisdiction.

District:

F.I.R read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C:

14 .

Signature / Thumb Impression
of The Complainant/Informant:

ASI Manjeet Singh

Signature of Officer

Name: MANJEET SINGH

Rank: ASI

No.: 00036307

15 . Date and Time of despatch to the court:



Annexure – Accused (Known/Unknown) Details

District: STATE VIG BUREAU P.S.: SVB AMBALA Year: 2015 FIR No.: 1 Date: 29-01-2015

1. SH JAGMOHAN SHARMA
R/O: EX-DFO (T) AMBALA
Sex: Male Telephone: Dist.:
Birth Year: Occupation: Juris. P.S.:
Nationality: INDIA
2. SH GOKUL SHARMA
R/O: EX- RANGE FOREST OFFICER AMBALA
Sex: Male Telephone: Dist.:
Birth Year: Occupation: Juris. P.S.:
Nationality: INDIA
3. SH RAJESH RANA
R/O: EX- RANGE FOREST OFFICER NARAINGARH DISTT AMBALA
Sex: Male Telephone: Dist.:
Birth Year: Occupation: Juris. P.S.:
Nationality: INDIA
4. SH PARSHANT SHARMA
R/O: EX- RANGE FOREST OFFICER SAHA DISTT AMBALA
Sex: Male Telephone: Dist.:
Birth Year: Occupation: Juris. P.S.:
Nationality: INDIA
5. SH VINOD KUMAR
R/O: EX- RANGE FOREST OFFICER SAHA DISTT AMBALA
Sex: Male Telephone: Dist.:
Birth Year: Occupation: Juris. P.S.:
Nationality: INDIA
6. SH LAXMAN DASS
R/O: EX- RANGE FOREST OFFICER SAHA DISTT AMBALA
Sex: Male Telephone: Dist.:
Birth Year: Occupation: Juris. P.S.:
Nationality: INDIA
7. SH DEEPAK ALAWADI
R/O: EX- RANGE FOREST OFFICER SAHA DISTT AMBALA
Sex: Male Telephone: Dist.:
Birth Year: Occupation: Juris. P.S.:



Nationality: INDIA

8. SH CHANDER MOHAN

R/O: EX-DEPTY SUPRINTENDENT OFFICE OF DFO (T) AMBALA

Sex: Male

Telephone:

Dist.:

Birth Year:

Occupation:

Juris. P.S.:

Nationality: INDIA

9. SH SURENDER KUMAR NAGAR

R/O: ASSISTANTE EX- ACCOUNTANT OFFIEC OF DFO(T) AMBALA NOW OFFICE OF PARDAN
PARMUKH WAN RAKSHAK HARYANA PKL

Sex: Male

Telephone:

Dist.:

Birth Year:

Occupation:

Juris. P.S.:

Nationality: INDIA

ASI Manjeet Singh
Signature of Duty Officer:

D.O.Name: MANJEET SINGH

Rank: ASI

place: SVB AMBALA(STATE VIG BUREAU)

No.: 00036307

Date: 29-01-2015

